**[2013] 8 एस.सी.आर. 53**

**सी वी फ्रांसिस**

**बनाम**

**भारत संघ और अन्य**

**(विशेष अनुमति याचिका (सिविल) नं. 2011 का 31250)**

**3 जुलाई, 2013**

**[अल्टमास कबीर, सीजेआई, अनिल आर. दवे और रंजना प्रकाश देसाई, जे. जे.]**

सेवा कानूनः

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना - इसके तहत लाभ चाहने वाला कर्मचारी- इसकी स्वीकृति की प्रतीक्षा किए बिना, छुट्टी पर चला गया और कहीं और रोजगार ले लिया - उनकी छुट्टी नहीं बढ़ाई गई- ड्यूटी में शामिल होने में उनकी विफलता पर, ड्यूटी से अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई और उनके वरिष्ठों को समाप्त कर दिया गया- उच्च न्यायालय ने बर्खास्तगी को बरकरार रखा-आयोजितः

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत तत्काल मामले में लाभ प्रदान करने के संबंध में निर्णय नियोक्ता के विवेक पर है, जब तक कि योजना स्वयं सेवानिवृत्ति के लिए नोटिस अवधि के अंत में प्रभावी होने का प्रावधान नहीं करती है। योजना के तहत ऐसी कोई शर्त नहीं थी- कर्मचारी की सेवा को समाप्त कर दिया गया जो सही था।

याचिकाकर्ता ने उत्तरदाता कंपनी द्वारा शुरू की गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन किया। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग करने वाले के आवेदन की स्वीकृति की प्रतीक्षा किए बिना, वह एक महीने की छुट्टी लेने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए और वहां रोजगार प्राप्त किया। वहाँ से, उन्होंने आगे की छुट्टी के लिए आवेदन किया, जिसे अस्वीकार कर दिया गया और शामिल होने के लिए कहा गया। चूंकि वह अपने कर्तव्यों में शामिल नहीं हुए थे, इसलिए उनके खिलाफ कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई। याचिकाकर्ता के कहने पर, उच्च न्यायालय ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के उनके अनुरोध को स्वीकार करने और अनुशासनात्मक कार्यवाही को छोड़ने की मांग करने वाले उनके प्रतिनिधित्व पर विचार करने का निर्देश दिया।

उसका प्रतिनिधित्व प्रतिवादी- राज्य द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, और उसे विभागीय कार्यवाही में दोषी पाते हुए, उसकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया था।

बर्खास्तगी आदेश को चुनौती देने वाली उनकी रिट याचिका को उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने खारिज कर दिया था और आदेश की पुष्टि उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने रिट अपील में की थी।

तत्काल विशेष अनुमति याचिका में, याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के साथ- साथ तर्क दिया कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए उसके आवेदन को नोटिस अवधि की समाप्ति पर स्वीकार किया गया माना जाना चाहिए और इस प्रकार अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्ति आदेश अमान्य थे।

याचिका को खारिज करते हुए, न्यायालय ने कहाः

1. किसी कंपनी द्वारा शुरू की गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, किसी कर्मचारी को योजना के लाभों के अधिकार के रूप में हकदार नहीं बनाती है। क्या किसी कर्मचारी को योजना के संदर्भ में सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी जानी चाहिए, यह एक निर्णय है जो केवल नियोक्ता कंपनी द्वारा लिया जा सकता है, सिवाय उन मामलों के जहां योजना स्वयं सेवानिवृत्ति के लिए नोटिस अवधि समाप्त होने पर प्रभावी होने का प्रावधान करती है। एक कंपनी द्वारा शुरू की गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना अनिवार्य रूप से डेडवुड को खत्म करने की कंपनी की इच्छा का एक हिस्सा है।

2. तत्काल मामले में, योजना में ऐसी कोई शर्त नहीं थी कि उसके आवेदन को स्वीकार किए बिना भी यह माना जाएगा कि याचिकाकर्ता का स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आवेदन स्वीकार कर लिया गया था।

एक बार जब इसे स्वीकार नहीं किया जाता है, तो याचिकाकर्ता का पूरा मामला धरशायी हो जाता है। याचिकाकर्ता का संयुक्त राज्य अमेरिका में रोजगार प्राप्त करने के बाद, प्रतिवादी कंपनी के साथ अपने कर्तव्यों को फिर से शामिल करने का कोई इरादा नहीं था। नोटिस अवधि की प्रतीक्षा करने के बजाय, याचिकाकर्ता संयुक्त राज्य अमेरिका चला गया,

और वहाँ रोजगार प्राप्त किया और छुट्टी के लिए प्रार्थना करने वाले उनके पत्रों का कोई परिणाम नहीं निकला।

टेक चंद बनाम दिली राम (2001) 3 एससीसी 290:2001 (1) एससीआर 527-प्रतिष्ठित।

पादुबिद्री दामोदर शेनॉय बनाम इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड और अन्य ।(2009) 10 एससीसी 514: 2009 (14) एससीआर 356- संदर्भित।

**मामला कानून संदर्भः**

| | | |
|---|---|---|
| 2001 (1) एस. सी. आर. 527 | विशिष्ट | पैरा (14) |
| 2009 14 एस. सी. आर. 356 | उल्लिखित | पैरा 10 |

*सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः* विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं. 2011 का 31250

रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के 13.06.2011 के निर्णय और आदेश से एलपीए सं 2009 का 283.

सीवी फ्रांसिस, याचिकाकर्ता- स्वयं।

ध्रुव मेहता, अनुराग शर्मा (एपी एंड जे चैंबर्स के लिए) उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय **अल्टमास कबीर सीजेआई** 1 ने सुनाया:

1. याचिकाकर्ता, जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुआ है, प्रत्यर्थी, बोकारो स्टील लिमिटेड द्वारा प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया था, जो बाद में 20.2.1998 से भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल) की इकाई बन गई। उसी तारीख को एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना शुरू की गई थी और याचिकाकर्ता ने योजना का लाभ उठाने के लिए 7.4.1998 को आवेदन किया था। याचिकाकर्ता ने 30.4.1998 से 31.5.1998 तक छुट्टी के लिए आवेदन करने का दावा किया है, जिसे कथित रूप से स्वीकृत किया गया था।

2. हालांकि, उनके स्वीकृति की प्रतीक्षा किए बिना याचिकाकर्ता संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए आगे बढ़ा, और 1.6.1998 से 30.6.1998 तक आगे छुट्टी के लिए आवेदन किया।

इस तरह की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया था और याचिकाकर्ता को दिनांक 26.6.1998 के पत्र द्वारा 1 से अपने कर्तव्यों में शामिल होने के लिए कहा गया था।

याचिकाकर्ता अपने कर्तव्यों में शामिल नहीं हुआ, जैसा कि निर्देश दिया गया है, लेकिन फिर से 1.7.1998 से 31.8.1998 तक छुट्टी के लिए आवेदन किया। अपने दिनांक 3.8.1998 के पत्र द्वारा, प्रत्यर्थी कंपनी ने याचिकाकर्ता को सूचित किया कि छुट्टी नहीं दी गई थी और उसे बिना छुट्टी के कर्तव्य से अनुपस्थित माना जा रहा था, जिसके लिए अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही पर विचार किया जा रहा था। उनकी ओर से कोई जवाब न मिलने पर प्रत्यर्थी कंपनी ने एक बार फिर 14.8.1998 को याचिकाकर्ता को पत्र लिखकर उसे दस दिनों के भीतर ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने को कहा, ऐसा न करने पर उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी, लेकिन याचिकाकर्ता उक्त पत्र का भी जवाब देने में विफल रहा। 11.10.1998 को, याचिकाकर्ता के खिलाफ कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए एक अनुशासनात्मक जांच शुरू की गई थी।

3. उसके विरुद्ध आरोपों का उत्तर दिए बिना, याचिकाकर्ता ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए उसके अनुरोध को स्वीकार करने के लिए प्रत्यर्थी कंपनी को दिनांक 20.11.1998 को एक और अभ्यावेदन भेजा। जैसे ही इस तरह की प्रार्थना को खारिज कर दिया गया, याचिकाकर्ता ने अधिकारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए उनकी प्रार्थना को स्वीकार करने और उनके खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई को वापस लेने के निर्देश के लिए अपने रिट अधिकार क्षेत्र में केरल उच्च न्यायालय का रुख किया। केरल उच्च न्यायालय ने उसी दिन रिट याचिका का निपटारा किया और अपने दिनांक 23.4.1999 के आदेश द्वारा भारत संघ को याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का उचित समय के भीतर निपटारा करने का निर्देश दिया। यह स्पष्ट किया गया था कि जो भी कार्रवाई की गई थी, वह याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व पर पारित किए जाने वाले आदेश के अधीन होगी। याचिकाकर्ता को भारतीय प्रत्यर्थी संघ द्वारा अपने मामले का प्रतिनिधित्व करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था। दिनांक 11.10.1999 के आदेश ने याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को अस्वीकार कर दिया। इसके पश्चात् 29.12.1999 को याचिकाकर्ता को विभागीय कार्यवाहियों में दोषी पाया गया, इसलिए उसकी सेवा को समाप्त कर दिया गया।

**सी वी फ्रांसिस**

**बनाम**

**भारत संघ और अन्य**

**57.**

**[अल्तमस कबीर, सीजेआई।]**

4. उक्त आदेश को याचिकाकर्ता द्वारा केरल उच्च न्यायालय में रिट याचिका सं. 2009 का 26659, हालांकि, इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि केरल उच्च न्यायालय के पास इसे स्वीकार करने के लिए कोई क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं था।
इसके बाद, याचिकाकर्ता ने रिट याचिका (एस) नं. 2004 का 4057 से झारखंड उच्च न्यायालय झारखंड को रुख किया ।

5. रिट याचिका को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज किए जाने के बाद, याचिकाकर्ता ने खंड पीठ के समक्ष एक अपील को प्राथमिकता दी जिसमें याचिकाकर्ता के वकील ने दृढ़ता से आग्रह किया कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए उनके आवेदन को स्वीकार किया जाए। उन्होंने अपनी दलीलों में एक नया आयाम भी जोड़ा कि चूंकि प्रत्यर्थी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी, इसलिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए उनके आवेदन को स्वीकार किया गया माना जाना चाहिए। तदनुसार, अनुशासनात्मक कार्यवाही के माध्यम से की गई बाद की कार्यवाही और उसमें पारित सेवाओं की समाप्ति के आदेश को पूरी तरह से अमान्य माना जाना चाहिए।

6. अपनी दलीलों के समर्थन में, याचिकाकर्ता ने टेक चंद बनाम दिली राम [(2001) 3 एस. सी. सी. 290] में इस न्यायालय के निर्णय पर बहुत अधिक भरोसा किया। हालाँकि, उक्त निर्णय एक चुनाव के संदर्भ में दिया गया था, संयोग से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का प्रश्न भी विचार के लिए आया। विद्वान न्यायाधीशों ने माना कि नोटिस के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग से संबंधित नियमों की तीन श्रेणियां थीं। पहली श्रेणी में, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वतः ही नोटिस अवधि की समाप्ति पर लागू हो जाती है। दूसरी श्रेणी में भी, सेवानिवृत्ति तब तक लागू होती है जब तक कि सेवानिवृत्ति की अनुमति रोकने की सूचना अवधि के दौरान कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है और तीसरी श्रेणी में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति तब तक लागू नहीं होती है जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस आशय की अनुमति नहीं दी जाती है। ऐसे मामले में, सूचना अवधि की समाप्ति के बाद भी अनुमति से इनकार करने की सूचना दी जा सकती है।

7. याचिकाकर्ता ने तब केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमों के नियम 48-ए का उल्लेख किया, जो 20 साल की योग्यता सेवा पूरी करने पर सेवानिवृत्ति से संबंधित है।

याचिकाकर्ता यह इंगित किया गया है कि उपनियम (1) के अधीन सरकारी कर्मचारी द्वारा बीस वर्ष की अर्हता सेवा पूरी करने के बाद किसी भी समय, वह नियुक्ति प्राधिकरण को लिखित रूप में कम से कम तीन महीने की सूचना देकर सेवा से सेवानिवृत्त हो सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि उपनियम (2) के तहत उपनियम (1) में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सूचना को नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा स्वीकार करना होगा। तथापि, इसके परन्तुक के अधीन यह और उपबंध किया गया है कि जहां नियुक्ति प्राधिकरण उक्त सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व सेवानिवृत्ति की अनुमति देने से इनकार नहीं करता है, वहां सेवानिवृत्ति उक्त अवधि की समाप्ति की तारीख से प्रभावी हो जाएगी।

8. अपने स्वयं के मामले के तथ्यों के साथ तुलना करते हुए, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उसके मामले में भी, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के संदर्भ में स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने के लिए उसके द्वारा दिए गए नोटिस की अवधि समाप्त होने पर, नोटिस की उक्त अवधि समाप्त होने पर सेवानिवृत्ति अप्रभावी हो गई। •
तदनुसार, उत्तरदाता कंपनी द्वारा अपने कर्तव्य में फिर से शामिल होने के लिए उन्हें संबोधित बाद के पत्र का बहुत कम परिणाम था और उस पर की गई कोई भी कार्रवाई अमान्य होगी।

याचिकाकर्ता के अनुसार, उनकी सेवाओं की समाप्ति टेक चंद के मामले में निर्धारित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति से संबंधित सुव्यवस्थित सिद्धांतों का उल्लंघन था।

9. प्रत्यर्थी कंपनी की ओर से पेश होते हुए, श्री ध्रुव मेहता, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रत्यर्थी कंपनी की ओर से एफ याचिकाकर्ता के मामले का मुख्य रूप से इस आधार पर कड़ा विरोध किया कि किसी कंपनी द्वारा शुरू की गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की योजना में, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए किसी कर्मचारी के आवेदन को स्वीकार करना और अनुमति देना पूरी तरह से कंपनी का विवेकाधिकार है। तत्काल मामले में मानित स्वीकृति की अवधारणा भी उपलब्ध नहीं थी, क्योंकि योजना में ऐसा प्रावधान नहीं था।

10. श्री मेहता ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन करने के बाद याचिकाकर्ता के आचरण पर प्रकाश डाला। श्री मेहता ने बताया कि सूचना अवधि की समाप्ति से पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए उनकी प्रार्थना को स्वीकार किए जाने की प्रतीक्षा किए बिना, याचिकाकर्ता एक अमेरिकी कंपनी में शामिल हो गए।

वास्तव में, अनुमति की मांग करने वाले उनके पत्रों की अवधि से यह स्पष्ट था कि याचिकाकर्ता का कभी भी प्रतिवादी कंपनी में अपने कर्तव्य में फिर से शामिल होने का इरादा नहीं था। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए एक कर्मचारी के आवेदन की मानित स्वीकृति के प्रश्न पर, श्री मेहता ने पदुबिद्री दामोदर शेनॉय बनाम इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड और अन्य [(2009) 10 एससीसी 514] मामले में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया, जिसमें याचिकाकर्ता ने 20 वर्ष की योग्यता सेवा पूरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया था, उन्हें सूचित किया गया था कि ऐसी सेवानिवृत्ति नोटिस की अवधि समाप्त होने पर स्वचालित नहीं होगी, लेकिन यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद ही प्रभावी होगी। उक्त मामले में, इस न्यायालय ने यह भी कहा कि कर्मचारी ने कभी भी ऐसा कार्य नहीं किया जैसे कि तीन महीने की नोटिस अवधि समाप्त होने पर उसकी सेवाएं बंद कर दी गई हों, क्योंकि वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता रहा। इस प्रकार, याचिकाकर्ता द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए किया गया आवेदन वास्तव में कभी लागू नहीं हुआ।

11. श्री मेहता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले के तथ्य कुछ हद तक उपरोक्त मामले के तथ्यों के समान हैं, जहां, हालांकि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए एक आवेदन किया गया था, को स्वीकार नहीं किया गया था और उसमें याचिकाकर्ता की सेवाएं नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद भी समाप्त नहीं हुई थीं। श्री मेहता ने आग्रह किया कि इसी तर्क पर, टेक चंद के मामले (उपरोक्त) में निर्णय इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा।

12. पक्षकारों की ओर से की गई दलीलों पर विचार करने के बाद, हम विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं देखते हैं, जैसा कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अपनी सेवाओं की समाप्ति को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता के अनुरोध को खारिज करते हुए बरकरार रखा है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि 11.11.2011 को विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस केवल इस बात पर विचार करने के लिए जारी किया गया था कि क्या याचिकाकर्ता के खिलाफ पारित बर्खास्तगी के आदेश को अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश में परिवर्तित किया जा सकता है। हमने उस कोण से मामले पर विचार किया है और एकल न्यायाधीश या डिवीजन बेंच के आदेश को संशोधित करने का कोई औचित्य नहीं पाते हैं।

जैसा कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा जोर दिया गया है, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता का संयुक्त राज्य अमेरिका में रोजगार प्राप्त करने के बाद, प्रतिवादी कंपनी के साथ अपने कर्तव्यों को फिर से शामिल करने का कोई इरादा नहीं था। नोटिस अवधि की प्रतीक्षा करने के बजाय, याचिकाकर्ता संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, वहां रोजगार प्राप्त करने के बाद और छुट्टी के लिए प्रार्थना करने वाले उनके पत्रों का कोई परिणाम नहीं था। इसके अलावा, उनके खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक जांच में भाग लेने के बजाय, याचिकाकर्ता ने बार-बार प्रतिवादी कंपनी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए उनके आवेदन को स्वीकार करने का अनुरोध किया।

13. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि किसी कंपनी द्वारा शुरू की गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, किसी कर्मचारी को योजना के लाभों के अधिकार के रूप में हकदार नहीं बनाती है। क्या किसी कर्मचारी को योजना के संदर्भ में सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी जानी चाहिए, यह एक निर्णय है जो केवल नियोक्ता कंपनी द्वारा लिया जा सकता है, सिवाय उन मामलों के जहां योजना स्वयं सेवानिवृत्ति के लिए नोटिस अवधि समाप्त होने पर प्रभावी होने का प्रावधान करती है। एक कंपनी द्वारा शुरू की गई एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना अनिवार्य रूप से डेडवुड को बाहर निकालने की कंपनी की इच्छा का एक हिस्सा है।

14. याचिकाकर्ता का यह तर्क कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए उसका आवेदन उसके द्वारा दिए गए नोटिस की अवधि की समाप्ति पर प्रभावी हुआ, विफल होना चाहिए, क्योंकि योजना में ऐसी कोई शर्त नहीं थी कि उसके आवेदन को स्वीकार किए बिना भी यह माना जाएगा कि याचिकाकर्ता का स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आवेदन स्वीकार कर लिया गया था। एक बार जब इसे स्वीकार नहीं किया जाता है, तो याचिकाकर्ता का पूरा मामला जमीन पर गिर जाता है।

टेक चंद के मामले (उपर्युक्त) में निर्णय, इसलिए, इस मामले के तथ्यों पर कोई अनुप्रयोग नहीं होगा, विशेष रूप से जब याचिकाकर्ता का स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन स्वीकार नहीं किया गया था और उसे अपनी सेवाओं में फिर से शामिल होने के लिए कहा गया था। याचिकाकर्ता इस स्थिति से पूरी तरह से अवगत था क्योंकि उसने नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद भी छुट्टी के लिए आवेदन करना जारी रखा।

15. इसलिए, हम विशेष अनुमति याचिका में आक्षेपित आदेशों में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हैं, जिसे तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।

16. मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

**एसएलपी खारिज कर दी गई।**

**यह अनुवाद (सुधीर), पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।**